न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी : 213/2020
RCMS No. 2020/00335

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण:–
भंवरलाल पुत्र श्री देवाजी जाति मालवीय लोहार निवासी बमनिया पंचायत मौकमपुरा तहसील बाली जिला पाली		1. पुखराज पुत्र श्री देवाजी जाति मालवीय लोहार निवासी बमनिया तहसील बाली जिला पाली 2. सरपंच ग्राम पंचायत मौकमपुरा पंचायत समिति बाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति –

श्री राजुराम परमार अभिभाषक प्रार्थी
श्री गजेन्द्रसिंह अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 अनुपस्थित

–: निर्णय :–

दिनांक:– 1-3-2023

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत मौकमपुरा द्वारा मिसल संख्या 97/1996–97, प्रस्ताव संख्या 02 दिनांक 14.12.1999 की पालना में जारी पट्टा संख्या 3190 दिनांक 20.12.1999 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 को बहस हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने एवं सख्त हिदायत के बाद भी वक्त बहस उपस्थित नही होने से अधिवक्ता प्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का कब्जाशुदा व पट्टाशुदा भूखण्ड ग्राम बमनिया में आया हुआ है। उक्त भूमि का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 24.11.1975 को आवंटन अधिकारी ग्राम पचांयत मौकमपुरा द्वारा जारी किया गया था तब से लेकर प्रार्थी का उक्त भूखण्ड मय मकान पर कब्जा व रहवास है। प्रार्थी के मकान के उत्तर की तरफ प्रार्थी के भाई उदाराम का भूखण्ड स्थित है तथा उदाराम के उत्तर की तरफ अप्रार्थी संख्या 1 का भूखण्ड स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पूर्व सरपंच से मिलावट कर तीनो भूखण्डो का फर्जी पट्टा अकेले अपने पक्ष में 100 रूपये शुल्क में जारी करवा दिया जबकि उक्त भूखण्ड मौके पर तीन भागो में तीन भाईयों के बंटवारा अनुसार स्थित होने के बावजूद सरपंच ग्राम पंचायत मौकमपुरा ने प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिये बिना पट्टा जारी कर दिया जो विधि विरूद्ध व कानून की मंशा के विपरित प्रार्थी की भूमि को हड़पने के आशय से किया गया जो काबिले खारिज है। प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के हक में पट्टा जारी करने का निर्णय विधि विरूद्ध लिया गया। साथ ही प्रार्थी को सुनवाई का अवसर नही दिया तथा मौके पर प्रार्थी व उसके भाई उदाराम का कब्जा व रहवास होने के बावजूद

अति. जिला कलक्टर, पाली

तीनो भूखण्डो को हड़पने के आशय से मिलावट कर अप्रार्थी संख्या 1 पुखराज के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया। प्रार्थी के पक्ष में पूर्व ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 24.11.1975 को पट्टा जारी कर दिया था। नियमानुसार ग्राम पचांयत पट्टे की भूमि पर दुबारा पट्टा नही बना सकती। अतः निगरानी स्वीकार फरमाई जावे एवं ग्राम पचांयत मोकमपुरा द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी विक्रय विलेख 3190 दिनांक 20.12.1999 को निरस्त फरमावे।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो व ग्राम पचांयत के रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पंचायत रेकर्ड के अनुसार अप्रार्थी ने ग्राम पंचायत के समक्ष अपने पुश्तैनी कब्जाशुदा रहवासी मकान का पट्टा बनाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर पंचायत द्वारा नियमानुसार मिसल कायम की जाकर निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए दो वार्ड पंचो को मौका रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु मनोनीत किया गया। मौका रिपोर्ट के आधार पर ही एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त परिसर के पट्टा नही देने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति पेश नही की। दो गवाहो के बयान से भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी का पुश्तैनी कब्जाशुदा रहवासी मकान है। ग्राम पचांयत ने गवाहो के बयानो व वार्ड पंचो की मौका रिपोर्ट के अनुसार ही अप्रार्थी को अपने पुश्तैनी रहवासी मकान का जैर निगरानी पट्टा राज.पंचायती राज नियमो में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए जारी किया गया है जिसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित नही है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका सारहीन होने से खारिज की जाकर ग्राम पंचायत मोकमपुरा द्वारा मिसल संख्या 97/1996–197 व संकल्प संख्या 2 दिनांक 14.12.1999 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 3190 दिनांक 20.12.1999 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 1-3-2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
अति. जिला कलेक्टर, पाली